संख्या-772/2015/[illegible]/69-1-15-35(आसरा-37)/2013

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह

विशेष सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 2015

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय:-शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना"(आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1522/76/एक/2013-14 दिनांक 15 जुलाई, 2015 व संख्या-1635/76/एक/2013-14 दिनांक 22 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-हरदोई की निकाय-सण्डीला की 352 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-1993/69-1-13-35(आसरा-37)/2013 दिनांक 19 फरवरी, 2014 द्वारा रू0 1055.13 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 527.565 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि रू0 527.565 लाख (रूपये पांच करोड सत्ताईस लाख छप्पन हजार पांच सौ मात्र) की द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद/ निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल आवासीय लागत	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	हरदोई/ सण्डीला	504	1510.75	352	1055.13	527.565
योग				352	1055.13	527.565

(रूपये पांच करोड सत्ताईस लाख छप्पन हजार पांच सौ मात्र)

1. उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी)दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
2. प्रस्तरगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2/

3. प्रायोजना का निर्माण [illegible] कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व [illegible] प्राधिकरण/सक्षम स्तर [illegible] से अधिकृत से स्वीकृत कराना तथा [illegible] वैधानिक अपेक्षित [illegible] पर्यावरणीय क्लियरेन्स प्राप्त करते जायगा।

4. उक्त धनराशि शासन/ [illegible] योजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग [illegible] शर्तों/प्रतिबन्धों के अधी [illegible] उपर्युक्तानुसार निहित मद में [illegible] मानकीकृत विवरण, मा [illegible] विनि एवं मात्रा में किसी प्रकार का [illegible]

5. उक्त धनराशि जिस का [illegible] /मद में स्वीकृत की जा रही है, उस किया जावे। सामग्री/उप [illegible] करणों का क्रय वित्तीय नियमों के गुणवत्ता व पारदर्शिता के [illegible] साथ पूर्ण कराई जायेगी एवं किसी [illegible] जाय।

6. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनि [illegible] त किया जायेगा कि स्वीकृत किये [illegible] अथवा किसी अन्य स्रोत [illegible] ी धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है [illegible] योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित [illegible] द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इ [illegible]

7. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चि [illegible] ो सूडा/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनि [illegible] किया जायेगा कि व्यय वित्त समि [illegible] आवासों के निर्माण से सम्ब [illegible] निर्धित मानकीकरण के अनुसार ही [illegible] द्वारा अधिरोपित शर्तों का अ [illegible] नुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. उक्त धनराशि बैंक के खाते [illegible] म से आहरण के पश्चात राज्य नगरी [illegible] द्वारा परियोजना सम्बन्धी [illegible] ो परिवादों का सक्षम स्तरीय निरा [illegible] सहित यथापेक्षित योजना [illegible] देशों के अनुपालन पर आश्वस्त [illegible] सापदन से निर्माण इकाई को [illegible] उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने [illegible] पर आश्वस्त हो लेंगे।

9. उक्त धनराशि का आहरण [illegible] निदेशक, राज्य नगरीय विकास अ [illegible] सचिव/सचिव अथवा निदे [illegible] सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग [illegible] प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जा [illegible] गा।

10. प्रत्येक आहरण की सूचना म [illegible] लेखाकार (राजकोष), महालेखाकार ([illegible] की प्रति के साथ कोषागार [illegible] नाम, वाउचर संख्या, तिथि तथा [illegible] भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी [illegible] जायेगी।

11. स्वीकृत धनराशि कोषागार से [illegible] अ रित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट [illegible] जायेगी। स्वीकृत की जा रही [illegible] धनराशि का कोषागार से आहरण रा [illegible] अनुसार किया जायेगा तथा इ [illegible] में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों [illegible] जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुग [illegible] न के पूर्व यथानियम केन्द्र व रा [illegible] सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रति [illegible] र्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जा [illegible]

12. इस धनराशि का उपयोग प्र [illegible] वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कले [illegible] धनराशि व्यय हो जाने के पश्च [illegible] त उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गु [illegible] शासन को सन्दर्भ से उपलब्ध क [illegible] रा जायेगा। निर्धारित अवधि के बा [illegible] हो, तो एकमुश्त शासन को वापस [illegible] करनी होगी।

13. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय [illegible] कास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आ [illegible] का मिलान महालेखाकार के कार्या [illegible] य के लेखे से अवश्य करायेंगे।

14. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।

2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-112/2015/2083(1)/69-1-15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, हरदोई।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

3. परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार विहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।

6. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

9. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

10. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

11. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

-3/